मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

(सुरक्षित शनिवार)

बाल प्रेरकों का प्रशिक्षण मॉडयूल

विद्यालय के सभी बच्चों को विभिन्न आपदाओं से बचाव की जानकारी देने हेतु बाल प्रेरकों को प्रशिक्षित करने की कार्यशैली।

पाठ्यक्रम

क्रम0 सं0	अध्याय का विवरण	पृष्ठ सं0

1. "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" – एक परिचय

2. बाल प्रेरकों के संदर्भ में सामान्य जानकारी

3. बाल प्रेरकों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण / प्रशिक्षण तालिका

4. बाल प्रेरकों के कार्य दायित्व

5. बाल प्रेरक कौन होगें और इनकी आवश्यकता क्यों है ?

6. जोखिमों /खतरों की पहचान –हजार्ड हंट एवं इसकी की प्रक्रिया

7. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने का तरीका

8. सुरक्षित शनिवार के वार्षिक सारणी पर चर्चा

9. बाल प्रेरकों हेतु संचार संप्रेषण सामग्रियाँ

"मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" – एक परिचय

कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य–

राज्य के सभी निजी, सरकारी एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों में "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाएगी।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य **"घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक"** विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को कम करना एवं नियमित शिक्षण में आ़नेवाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान में काफी हद तक (Substantially) कमी लाना है।

उद्देश्य :

1. विद्यालय समुदाय (बच्चे, शिक्षक, अभिभावक) में आपदाओं के जोखिमों की पहचान एवं उनके कुप्रभावों को कम करने के उपायों की समझ एवं क्षमता विकसित करना।
2. विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को नियमित शिक्षण प्रक्रिया में समाहित कर बच्चों में आपदा प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना।
3. विद्यालय परिसर को आपदा जोखिमों (संरचनात्मक/गैर–संरचनात्मक) से सुरक्षित रखना।
4. बच्चों के माध्यम से राज्य में आपदाओं से सुरक्षा (Resilience) की संस्कृति विकसित करना।

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम मूलतः गतिविधि उन्मुख (Activity Oriented) कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को न केवल जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा बल्कि उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम आपदाओं की रोकथाम विशेषकर आपदा पूर्व तैयारियों एवं आपदाओं के प्रभावों को कम करने पर केन्द्रित है।

कार्यक्रम के तीन महत्वपूर्ण घटक है–

- विद्यालयों का संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण
- समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं
- सुरक्षित शनिवार के माध्यम से विद्यालय समुदाय का क्षमतावर्द्धन।

कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर निम्न कार्य किया जा रहा है –

1. विद्यालय में किसी एक शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जाएगा।
2. विद्यालय में बच्चों के संगठन जैसे मीना मंच, बाल–संसद आदि की सक्रिय भागीदारी से विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति बनाया जाएगा।
3. विद्यालय में बच्चों को जोखिमों को पहचानने (हजार्ड हंट) का कौशल विकसित कराया जाएगा।
4. जोखिमों की पहचान (हजार्ड हंट) करने के उपरांत विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करायी जाएगी।
5. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना के संबंध में चर्चा एवं चिन्हित खतरे तथा जोखिमों के कुप्रभाव को कम करने के उपायों की चर्चा विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में की जाएगी।
6. विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का विद्यालय सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा।
7. विद्यालय के निर्धारित वर्ग से बाल प्रेरक का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।
8. बाल प्रेरकों द्वारा **सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी** के अनुसार प्रत्येक शनिवार को निर्धारित गतिविधियाँ को फोकल शिक्षक की सहायता से विद्यालय के अन्य बच्चों को जानकारी दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को बाल प्रेरकों द्वारा दिये गये जानकारी से संबंधित कौशल विकसित कर निरंतर अभ्यास कराया जाएगा।

बाल प्रेरकों के संदर्भ में सामान्य जानकारी

प्रत्येक विद्यालयों में बाल प्रेरकों का चयन एवं उसे प्रशिक्षित कर विद्यालय के अन्य बच्चों को प्रतिदिन चेतना–सत्र के दौरान एवं प्रत्येक शनिवार को खेल–कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान या अंतिम सत्र में जानकारी एवं कौशल प्रदान कराते हुए अभ्यास कराया जाना इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों को आपदाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के तरीकों की सीख विकसित होगी। अतएव बाल प्रेरकों को सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को निर्धारित गतिविधियाँ की जानकारी अन्य बच्चों के बीच रखने के पूर्व प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

अतएव बच्चों को सुरक्षित शनिवार के विभिन्न गतिविधियों यथा– समावेशी आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण एवं वार्षिक सारणी के निर्धारित विषयों पर नियमित रूप से जानकारी एवं उससे संबंधित कौशल विकसित कर अभ्यास कराया जाए तो आने वाले कुछ वर्षो में बच्चे विभिन्न प्रकार के आपदाओं के कुप्रभाव से बचाव की दिशा में बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है।

बाल प्रेरकों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण / प्रशिक्षण तालिका

प्रतिभागी / प्रशिक्षु– बाल प्रेरक **साधनसेवी–फोकल शिक्षक**

समय	विषय	प्रशिक्षण का तरीका
10:00 से 10:30 बजे	• स्वागत । • प्रतिभागियों का परिचय। • प्रशिक्षण का उद्देश्य ।	• साधनसेवी प्रशिक्षण में बाल प्रेरकों का स्वागत करते हुए सभी का एक दूसरे से परिचय करायेगें। • साधनसेवी बाल प्ररकों को प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे (अनुलग्नक –1 के अनुसार)
10:30 से 11:30 बजे	• बाल प्रेरक कौन होगा ? • बाल प्रेरकों की आवश्यकता क्यों ? • बाल प्रेरकों के चयन की प्रक्रिया।	• साधनसेवी बाल प्रेरकों से चर्चा करते हुए कुछ आसान प्रश्न पूछेगें कि उनका चयन किस प्रकार हुआ है ? • चर्चा के उपरांत साधनसेवी बाल प्रेरकों की चयन प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराते हुए बाल प्रेरक कौन होगें और इसकी आवश्यकता क्यों है पर चर्चा करेंगे। (अनुलग्नक –2 के अनुसार)
11:30 से 01:00 बजे	• बाल प्रेरकों के कार्य दायित्व पर चर्चा। • विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन। • जोखिमों / खतरों की पहचान (हजार्ड हंट)। • विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने की प्रक्रिया।	• साधनसेवी बाल प्रेरकों को उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के गठन एवं उसके कौन–कौन सदस्य होगें उसपर चर्चा करेंगे। • जोखिमों / खतरों की पहचान (हजार्ड हंट) की प्रक्रिया को दो या तीन समूह में बाँट कर आधा घंटा का समय निर्धारित कर इस कार्य को करायेंगे तथा किए गए कार्यो पर योजना निर्माण (विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना) करायेंगे तथा उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया बतायेंगे। (अनुलग्नक – 3 एवं 4 के अनुसार)
01:00 से 02:00 बजे	**मध्याह्न भोजन – भोजनावकाश**	
02:00 से 03:30 बजे	• बाल प्रेरकों को सुरक्षित शनिवार की जानकारी देते हुए वार्षिक सारणी पर चर्चा। • बाल प्रेरकों द्वारा वर्गवार कार्य करने के तरीके पर चर्चा।	• साधनसेवी सुरक्षित शनिवार की जानकारी देगें तथा बाल प्रेरकों को वार्षिक सारणी में सालभर के शनिवार को अंकित गतिविधियों एवं सारणी के नीचे लिखे हुए निर्देशों से अवगत कराते हुए बतायेंगे कि किस तरह वार्षिक सारणी के अनुसार एक दिन पूर्व फोकल शिक्षक की मदद से पूर्व तैयारी करेंगे। • साधनसेवी किसी एक शनिवार का कार्यक्रम लेकर विद्यालय के अन्य सभी बच्चों के बीच किस तरह जानकारी देना है, उसे बतायेंगे। उसका अभ्यास भी करायेंगे तथा मॉकड्रील करने हेतु प्रेरित करेंगे। (अनुलग्नक – 5 के अनुसार)
03:30 बजे	समापन	**"हम होगें कामयाब"** गीत के साथ

अनुलग्नक–1

बाल प्रेरकों के प्रशिक्षण का उद्देश्य

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तीन घटकों में एक प्रमुख घटक के रूप में "सुरक्षित शनिवार" के वार्षिक सारणी में आपदा प्रबंधन संबंधी निर्धारित गतिविधियों के माध्यम से बाल प्रेरकों के द्वारा विद्यालय के अन्य बच्चों को जानकारी देना तथा उनके क्षमतावर्द्धन कर कौशल विकसित करना है। इस प्रक्रिया के द्वारा बाल प्रेरकों में भी नेतृत्व विकास एवं उनके संवाद संप्रेषण में वृद्धि होती है।

"सुरक्षित शनिवार" के वार्षिक सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार के पूर्व यानी शुक्रवार को विद्यालय के सभी चयनित एवं प्रशिक्षित बाल प्रेरकों के साथ फोकल शिक्षकों द्वारा बैठक कर अगले शनिवार के गतिविधियों के बारे में जानकारी देगें तथा दो–दो बाल प्रेरकों को वर्ग कक्ष भी आवंटित करेंगे। इसी प्रकार यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से प्रत्येक शनिवार को चेतना सत्र एवं उस दिन के अंतिम सत्र में बाल प्रेरकों की मदद से सभी विद्यालयों के सभी कक्षाओं में संचालित होना ही इस कार्यक्रम की सफलता को प्रदर्शित करेगा।

वार्षिक सारणी के अनुसार शनिवार के निर्धारित विषयों एवं गतिविधियों के बारे में 2–2 बाल प्रेरक प्रत्येक वर्गकक्ष में जाकर निर्धारित विषयों के बारे में विद्यालय के अन्य बच्चों को संबंधित आपदा से बचाव के संदर्भ में (क्या करें एवं क्या न करें के बारे में) बताने के साथ–साथ आवश्यकतानुसार मॉकड्रील (डेमोस्ट्रेशन) आदि का अभ्यास दिखाएँगें। शनिवार को उक्त कार्य करने के लिए फोकल शिक्षक की मदद से एक दिन पूर्व तैयारी करना श्रेयस्कर होगा। उक्त के क्रम में बाल प्रेरकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के पूर्व प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है ताकि उनमें सुरक्षित शनिवार के विषय–वस्तु की समझ विकसित हो सके और वर्ष भर इस कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हो सके।

यह आवश्यक होगा कि कार्यक्रम की शुरूआत करने के पूर्व वे इसके बारे में पूर्णतः दक्षता प्राप्त कर लें, अन्यथा सम्पूर्ण जानकारी के अभाव में बाल प्रेरकों द्वारा इसे सफलता पूर्वक संचालित करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अतएव बाल प्रेरकों को प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है।

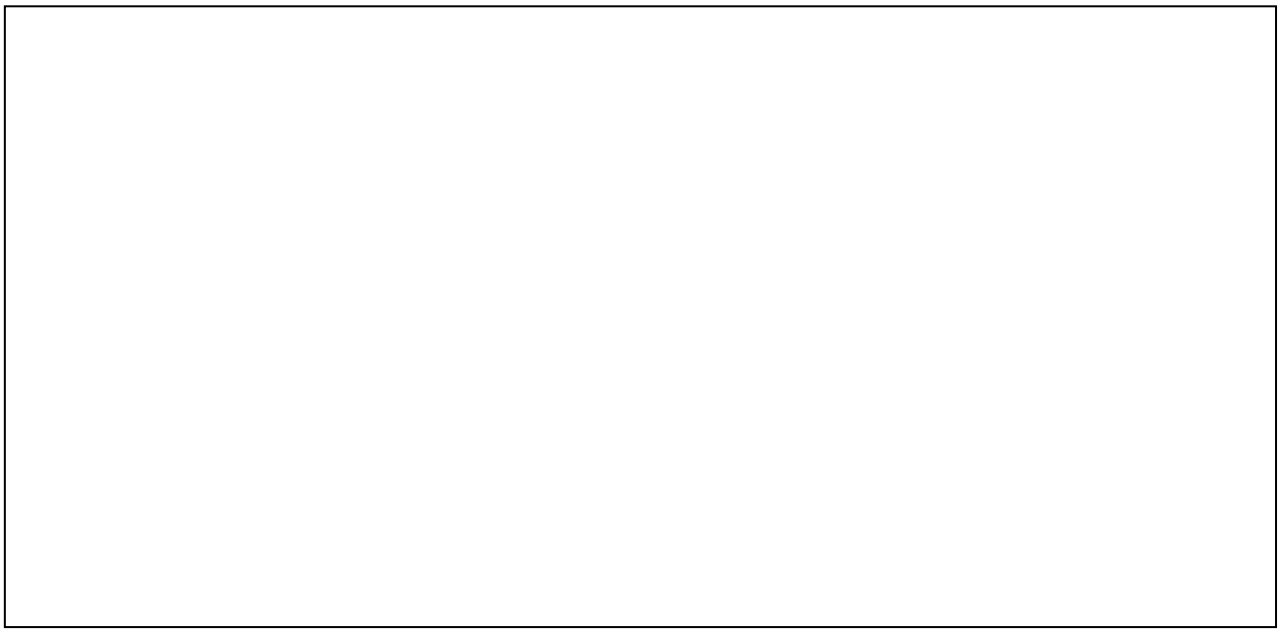

अनुलग्नक–2

बाल प्रेरक कौन होगें और इनकी आवश्यकता क्यों है ?

बाल प्रेरक बच्चों के बीच में विभिन्न कक्षाओं से बच्चों द्वारा चयनित विद्यालय के छात्र/छात्रा है। बाल प्रेरक के रूप में ऐसे छात्र/छात्राओं का चयन करना है जो मेधावी, वर्ग मॉनीटर, बाल संसंद के मंत्री/उप मंत्री, मीना या उप मीना, जिनका नेतृत्व क्षमता अधिक हो, जिनका संवाद सम्प्रेषण अच्छा हो आदि।

प्राथमिक विद्यालय में बाल प्रेरकों का चयन प्रक्रिया –

प्राथमिक विद्यालय जहाँ वर्ग 01 से 05 तक की केवल पढ़ाई होती है। वहाँ वर्ग 04 और 05 से उपयुक्त संख्या में इस प्रकार चयन किया जाए की प्रत्येक वर्ग हेतु कम–से–कम 2–2 बाल प्रेरक शनिवार के गतिविधियों की जानकारी देने हेतु प्रर्याप्त संख्या में हों। यह तो एक सामान्य स्थिति में होगा जहाँ किसी कक्षा का सेक्शन न चलता हो, अगर किसी विद्यालय के कक्षाओं में सेक्शन चलता हो तब उस स्थिति में प्रत्येक सेक्शन के लिए 2–2 अतिरिक्त बाल प्रेरकों का चयन किया जाए, खासकर निजी विद्यालयों में। इस संदर्भ में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग–अलग कक्षाओं में कई सेक्शन होते है। इस कार्यक्रम को सुगमतापूर्वक संचालित करने हेतु प्रत्येक वर्ग एवं सेक्शन हेतु 2–2 की संख्या में 04 और 05 कक्षाएँ से बाल प्रेरक का चयन अनिवार्य रूप से करना है।

मध्य विद्यालय में बाल प्रेरकों का चयन प्रक्रिया –

अपर प्राईमरी या मध्य विद्यालयों में जहाँ वर्ग 01 से 08 तक या 06 से 08 वर्ग तक की पढ़ाई होती है। वहाँ कक्षा 06, 07 एवं 08 से उपयुक्त संख्या में इस प्रकार चयन किया जाए की प्रत्येक वर्ग हेतु कम–से–कम 2–2 बाल प्रेरक शनिवार के गतिविधियों की जानकारी देने हेतु प्रर्याप्त संख्या में हों। इसी प्रकार अगर किसी विद्यालय के कक्षाओं में सेक्शन चलता हो तब उस स्थिति में प्रत्येक सेक्शन के लिए 2–2 अतिरिक्त बाल प्रेरकों का चयन किया जाए।

बाल प्रेरकों की आवश्यकता क्यों है ?

बाल प्रेरकों द्वारा अन्य बच्चों (पीयर–टू–पीयर एजुकेशन विधि) को विद्यालय सुरक्षा से संबंधित विषयों की जानकारी देना एक प्रमाणित एवं सर्वमान्य तरीका है जिसमें बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर किसी कठिन कार्य को आसानी से हल करने की कला में माहिर होते हैं।

ऐसे भी बच्चों के संदर्भ में एक प्रचलित कहावत है कि "child is father of the man" अर्थात् बच्चे बड़ों को भी सीखा सकते हैं। परंतु केवल वही बच्चे बड़ों को सीखा सकते हैं जो विद्यालय में अथवा अपने जीवन के खट्टे–मीठे अनुभवों से सीख हासिल करते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चे अपने माता–पिता एवं परिवार की परिधि के बाहर सबसे पहले अपने दोस्तों एवं अपने विद्यालय के संपर्क में आते हैं। बच्चों में नयी बातें सीखने की स्वाभाविक ललक एवं इच्छा होती है, अतएव वे विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का महत्वपूर्ण कारक होती है। अतएव आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी ज्ञान यदि उन्हें पाठ्य–पुस्तकों एवं पाठ्य चर्चा के माध्यम से दी जाए तथा सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी में प्रत्येक शनिवार को निर्धारित गतिविधियाँ को फोकल शिक्षक की सहायता से विद्यालय में बच्चों को जानकारी भी साथ में दी जाए तो वह ज्ञान न केवल उनके जीवन पर्यन्त काम आएगा अपितु वे उस ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों एवं समुदाय के साथ साझा कर सकते हैं।

बच्चों में नया बात सीखने की स्वाभाविक ललक होती है एवं प्रबल इच्छा होती है। वे जो सीखते है वे उसे अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, उसे वे अपने परिवार तथा दोस्तों को बताते हैं। बच्चे अपने साथियों के साथ ज्यादा खुलकर बातें करते है। अतः उनसे नई बातें साझा करने में सहजता महसूस करते हैं।

अतः इस कार्यक्रम को संचालित करने में बाल प्रेरकों की भूमिका अहम् है। बाल प्रेरक अपने साथियों तक अपनी बातें जितनी सहजता के साथ पहुँचा सकते है, शिक्षकों के द्वारा उसी संदेशों को बच्चों के बीच पहुँचाने में ज्यादा समय और शक्ति लगाने की आवश्यकता होती है।

अनुलग्नक– 3

बाल प्रेरकों के कार्य दायित्व

बाल प्रेरकों के चयन एवं प्रशिक्षण के उपरांत इनके द्वारा "सुरक्षित शनिवार" के वार्षिक सारणी के अनुसार निर्धारित गतिविधियों के बारे शनिवार को चेतना सत्र एवं उस दिन के अंतिम सत्र में विद्यालय के अन्य बच्चों को जानकारी एवं उनके क्षमतावर्द्धन हेतु मॉकड्रील तथा अभ्यास करायेंगे। सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु शनिवार के एक दिन पूर्व फोकल शिक्षक के साथ बैठकर संबंधित गतिविधियों के बारे में तैयारी करेंगे। शनिवार के दिन चेतना सत्र एवं उस दिन के अंतिम सत्र में प्रत्येक कक्षा में 2–2 बाल प्रेरक जाकर कक्षा के अन्य बच्चे को तत्संबंधी आपदा से बचाव की जानकारी देंगे। फोकल शिक्षक इस कार्य के दौरान सभी कक्षाएँ में धूमकर बाल प्रेरकों का उत्साहवर्द्धन करेंगे और यथासंभव उन्हें समुचित सुझाव एवं उनके बताने की कला में संशोधन भी करेंगे।

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति (SDMC) का गठन

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का कार्य विद्यालय के अन्दर एवं बाहर तथा विद्यालय के पोषक क्षेत्र में जोखिमों /खतरों की पहचान करना एवं चिन्हित आपदाओं के कुप्रभावों को कम करने अथवा उसके शमन हेतु प्रयास करना है। समिति के सदस्य अपने विद्यालय को एक सुरक्षित स्थान के रूप में बनाये रखने हेतु हमेशा प्रत्यनशील होगें।

इस कार्य को मूर्त्तरूप देने के संदर्भ में विद्यालय समुदाय, बाल संसद, मीना मंच एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को मिलाकर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। समिति के गठन हेतु विद्यालय समुदाय जिसमें बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक आते हैं तथा विद्यालय शिक्षा समिति के 3 मनोनीत सदस्य शामिल होकर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के संरचना पर चर्चा करके इसका गठन करेंगे।

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में अधिकतम 12–13 सदस्य होगें। समिति की रूपरेखा निम्नरूपेण होगें–

1. विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष
2. फोकल शिक्षक
3. बाल संसद के सभी मंत्री (उप मंत्री छोड़कर)
4. बाल सुरक्षा एवं उप सुरक्षा मंत्री
5. मध्य विद्यालयों में मीना मंच की मीना और उप मीना
6. एक या दो बाल प्रेरक

प्राथमिक विद्यालय

विद्यालय शिक्षा समिति	फोकल शिक्षक	बाल संसद मंत्री	बाल सुरक्षा एवं उप सुरक्षा मंत्री	बाल प्रेरक	कुल
1	**1**	**6**	**2**	**3**	**13**

अपर प्राइमरी / मध्य विद्यालय

विद्यालय शिक्षा समिति	फोकल शिक्षक	बाल संसद मंत्री	मीना मंच	बाल सुरक्षा एवं उप सुरक्षा मंत्री	बाल प्रेरक	कुल
1	**1**	**6**	**2**	**2**	**1**	**13**

निजी / प्राईवेट विद्यालय

विद्यालय प्रबंधन समिति	फोकल शिक्षक	क्लास मॉनिटर एवं ग्रुप कैप्टन एव अन्य छात्र/	कुल
1	1	11	13

मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों में मदरसा विद्यालय प्रबंधन समिति एवं बच्चों को शामिल कर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाए।

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक माह में एक बार निश्चित रूप से की जाए एवं पहचान किए गये खतरों या जोखिमों को सभी समिति सदस्यों के समक्ष साझा कर जोखिमों के कुप्रभाव को कम करने तथा उसके शमन के उपाय के संदर्भ में चर्चा करेंगे।

अनुलग्नक – 4

जोखिमों /खतरों की पहचान –हजार्ड हंट एवं इसकी प्रक्रिया :

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में हंट या जोखिम का आकलन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अतएव इस प्रक्रिया को पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ करने की आवश्यकता है। "हजार्ड हंट" करने की प्रक्रिया निम्नरूपेण है–

- विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति, शिक्षक एवं बच्चों को प्रधानाध्यापक एक जगह एकत्रित करेगें।
- वे उन्हें "हजार्ड हंट" / जोखिम आकलन के महत्व के साथ–साथ यह भी बतायें कि इस प्रक्रिया के द्वारा वे उन सभी प्रकार के जोखिमों की पहचान करें, जिससे हम सभी को किसी न किसी प्रकार के खतरे या नुकसान होने की संभावना है, चाहे वह नुकसान तुरंत हो या भविष्य में घटित हो।
- उन्हें यह भी बताये कि वे उन सभी खतरों की पहचान करें, जिससे शारीरिक कष्ट एवं स्वास्थ्य संबंधी बिमारियॉ उत्पन्न हो सकती है या फिर वो खतरे जिससे कभी–कभी जान भी जा सकती है। "हजार्ड हंट" के दौरान संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक खतरों की भी पहचान करें।
- अब "हजार्ड हंट" प्रक्रिया में शामिल होनेवाले बच्चों का 4–6 समूह बनायें (समूह बनाते समय यह ध्यान रखें कि किसी समूह में 10 से ज्यादा बच्चे न हो, भले ही इसके लिए समूहों की संख्या बढ़ानी क्यों न पड़े)।
- सभी बच्चे अपने–अपने समूह में विद्यालय के अंदर एवं बाहर भ्रमण कर उन सभी खतरों को नोट करते जायें जिनसे किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना हो या वो सभी वस्तुएँ या चीजें जो नुकसानदेह हों या जिनसे डर लगता हो और जिनको सामूहिक प्रयास से ठीक किया जा सकता हो।
- "हजार्ड हंट" प्रक्रिया के लिए बच्चों को आवश्यकतानुसार 30 से 45 मिनट का समय दें और समूहों को खतरे की पहचान करने के लिए भेजा जाए। प्रत्येक समूहों के द्वारा किये जाने वाले कार्य पर दूर से नजर रखें, इससे बच्चों की भावनाओं और उनके कार्य करने की गंभीरता को समझने में आसानी होगी जो विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण करने के समय काफी उपयोगी साबित होगी।

अब प्रत्येक समूह को पहचान किये गये जोखिमों एवं खतरों का प्रस्तुतीकरण करने को कहा जाये और उपस्थित सभी के साथ चर्चा करके चिन्हित जोखिमों व खतरों को अलग–अलग सेक्टर के हिसाब से सूचीबद्ध करायें। हजार्ड हंट के लिए चेकलिस्ट निम्न प्रकार है–

सेक्टर	स्थान/जोखिम युक्त अंश का नाम	जोखिमों की संभावना/तीव्रता		
		उच्च	मध्यम	कम
पेयजल एवं परिसर स्वच्छता संबंधी जोखिम				
स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी जोखिम				
जीवन रक्षा कौशल के अभाव संबंधी जोखिम				
भवन की संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक एवं उसके मजबूती संबंधी जोखिम				
विद्यालय परिसर संबंधी जोखिम				
घर से विद्यालय आने के मार्ग में पड़ने वाले जोखिम				
मध्याहन् भोजन एवं किचेन शेड से संबंधित जोखिम				
अन्यान्य				

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने का तरीका

जोखिम व खतरों की पहचान हो जाने के उपरांत फोकल शिक्षक एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों से विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार कराया जाये। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निम्न प्रकार से तैयार की जा सकती है :–

- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें पहचान किये गये जोखिमों एवं खतरों को कम करने या उस खतरे को समाप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के सुझाव अंकित होते हैं और उसके लिए की जानेवाली आवश्यक कार्रवाई के साथ ही साथ विभिन्न हितभागियों के लिए उसे क्रियान्वित करने की समय–सीमा का निर्धारण भी होता है।
- मुद्दों के उपर चर्चा करके जोखिम को बढ़ाने वाले चिन्हित मुद्दों या समस्याओं को कॉलम 2 में लिखें और तीसरे कॉलम में उसके बारे में आज की स्थिति अंकित करें।
- मुद्दा के अनुसार विषयवार चिन्हित जोखिमों को कम करने के लिए समाधान के विकल्पों पर चर्चा कर चौथे कॉलम में लिखें। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में निम्न योजनाएँ होनी चाहिए–
    - अल्प अवधि में किये जाने वाले संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक कार्य
    - लंबी अवधि में किये जाने वाले संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक कार्य
    - बच्चों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना
    - जागरूकता एवं कौशल विकास की योजना
    - मॉकड्रील व नियमित अभ्यास की योजना।
- जोखिमों को सेक्टर/विषयवार सूची के अनुसार एक–एक कर उसके समाधान के उपायों के उपर चर्चा करके चिन्हित समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय का समेकित कार्य योजना निम्न प्रपत्र के अनुसार बनाया जाए :–

क्रम सं0	चिन्हित मुद्दें /समस्या	वर्त्तमान में चिन्हित समस्याओं की स्थिति	समाधान के विकल्प	योजना के क्रियान्वयन हेतु गतिविधियाँ	जिम्मेवारी	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7

प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत् किए गये कार्यो की समीक्षा हेतु निम्न प्रपत्र का संदर्भ लिया जाए :–

योजना के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त तालिका के अनुसार क्रमवार गतिविधियाँ	प्रगति का विवरण				कार्य अधूरा रहने का कारण	अभियुक्ति
	कार्य प्रारंभ होने की स्थिति	लागत / खर्च	योजना / मद का नाम	सहयोगी विभाग या संस्था		

पहचान किये गये जोखिमों एवं खतरों को कम करने लिए कारगर उपाय करना।

- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में जोखिमों एवं खतरों को कम करने के कई समाधानों को संपादित करने हेतु राशि की आवश्यकता पड़ सकती है। अतएव यह आवश्यक होगा कि लागत राशि को प्राप्त करने हेतु स्थानीय स्तर पर चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं यथा–मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि, स्थानीय विधायक एवं सांसद फंड इत्यादि के प्रभारी पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
- समाधानों से संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न स्तर के जिम्मेवार संस्थानों, पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से अलग–अलग संपर्क किया जा सकता है, जैसे– पंचायत स्तर पर वार्ड सदस्य एवं मुखिया, प्रखंड स्तर पर बी0डी0ओ0 एवं बी0ई0ओ0 तथा जिला स्तर पर डी0एम0, डी0ई0ओ0 तथा डी0पी0ओ0, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि।
- संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य के लिए बी0ई0ओ0 तथा जिला स्तर पर, डी0ई0ओ0 तथा डी0पी0ओ0, सर्व शिक्षा अभियान को बाल संसद से प्रस्ताव पारित कर प्रस्ताव दिया जा सकता है।
- विद्यालय स्तरीय कई कार्य स्थानीय समुदाय, अभिभावक, विद्यालय के प्रधानाध्यक एवं शिक्षकों के सहयोग से तुरंत प्रारंभ किया जा सकता है।

अनुलग्नक– 4

सुरक्षित शनिवार के वार्षिक सारणी पर चर्चा

साधनसेवी सुरक्षित शनिवार के वार्षिक सारणी के बारे में बाल प्रेरकों को विस्तृत रूप से चर्चा को बताने की कोशिश करेंगे कि यह एक निरंतर चलने वाले कार्यक्रम है। सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम गतिविधि उन्मुख आधारित कार्य है। वार्षिक सारणी में सालभर के 48 शनिवार को 16 प्रकार की आपदाओं को मौसम आधारित समयानुकूल उल्लेखित किया गया है। वार्षिक सारणी के नीचे निर्देश भी लिखे गये हैं। साधनसेवी सुरक्षित शनिवार के निर्देशो पर भी चर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों को विस्तार पूर्वक बाल प्रेरकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उदाहरणस्वरूप, यह भी बतायेंगे की अगर किसी माह पाँचवा शनिवार आता है तो उस दिन स्वच्छता एवं साफ–सफाई के बारे में बच्चों को बताया जाएगा।

साधनसेवी बाल प्ररकों से प्रश्न भी पूछेंगे, जो इस प्रकार होगें–

- अप्रैल माह के दूसरे शनिवार को कौन–सा विषय निर्धारित है ?
- इसी प्रकार नवम्बर माह के चौथे शनिवार को कौन–सा आपदा के बारे में जानकारी दिया जाएगा ?
- विद्यालय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?
- पाँचवे शनिवार को किस विषय की जानकारी दी जाएगी ?

सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु निम्नलिखित बातें ध्यान योग्य है–

- शनिवार के एक दिन पूर्व बाल प्रेरकों को फोकल शिक्षक वार्षिक सारणी में निर्धारित विषयों के संबंध में तैयारी करायेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे की बाल प्रेरक अलग–अलग कक्षाओं में जाकर विषय–वस्तु के बारे में जानकारी देने में सक्षम हो सकें।
- पूर्व तैयारी के क्रम में बाल प्ररकों द्वारा मॉकड्रील (डेमोस्ट्रेशन) या अभ्यास कर यह साबित करेंगे कि जो जानकारी विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को दिया जाएगा, वह सही होगा और उनके लिए लाभकारी एवं रोचक होगा।
- पूर्व तैयारी के क्रम बाल प्रेरकों द्वारा फोकल शिक्षक की मदद से नोट बनाया जाए ताकि आवश्यकतानुसार उसका उपयोग कर बच्चों को बेहतर ढंग से जानकारी दिया जा सके।
- शनिवार के दिन कौन–कौन से बाल प्रेरक किस कक्षा में जाएँगे उसका भी निर्धारण फोकल शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

- शनिवार को चेतना सत्र एवं उस दिन के अंतिम घंटी में पूर्व तैयारी के अनुसार दो–दो बाल प्रेरक सभी कक्षाओं एवं सेक्शनों में जाकर संबंधित विषयों के बारे में जानकारी देगें, अगर इसके साथ मॉकड्रील एवं अभ्यास प्रस्तावित है तो उसे भी कराना सुनिश्चित करायेंगे।
- बाल प्रेरक जब विभिन्न कक्षाओं में बच्चों को बता रहें हो तब फोकल शिक्षक सभी कक्षाओं में धूम–धूमकर देखेंगे और बाल प्रेरकों को उत्साहित कर उसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने हेतु सुझाव भी देगें।
- अगर किसी बाल प्रेरक को अन्य बच्चों को जानकारी देने में समस्या उत्पन्न हो रही हो तो फोकल शिक्षक उसका आकलन कर यथोचित निदान के तरीके भी बतायेंगे। सभी बाल प्रेरकों से इन समस्याओं पर चर्चा अगले शनिवार के पूर्व तैयारी के क्रम में करेंगे।

उक्त बातों को ध्यान में रखकर अगर तैयारी किया जाए तो सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम को निश्चित रूप से एक सफल कार्यक्रम कहा जा सकता है एवं बच्चों को विभिन्न आपदाओं से बचाव की जानकारी प्राप्त हो सकेगा। इसके सफलता के उपरांत ही आगामी कुछ वर्षो में सुरक्षित बिहार की कल्पना परिलक्षित होगें।

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

बिहार सरकार

निर्देश

1. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विद्यालय के बच्चों में जोखिमों की पहचान एवं उससे बचाव करने की क्षमता, ज्ञान तथा आत्मविश्वास विकसित किया जाए ताकि वे किसी प्रकार के आपदा प्रत्युत्तर के लिए तैयार हो सकें।
2. बाल प्रेरकों द्वारा अन्य सभी बच्चों को एक साथ ज्ञान एवं कौशल स्थानांतरित करने का तरीका अन्य शिक्षण पद्धति से ज्यादा उपयुक्त होता है। अतः बाल प्रेरकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
3. प्रत्येक विद्यालय के फोकल शिक्षक सभी बाल प्रेरकों के साथ शनिवार के एक दिन पूर्व वार्षिक–सारणी में निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप योजना तैयार करेंगे।
4. सुरक्षित शनिवार की गतिविधियाँ प्रत्येक शनिवार के चेतना सत्र तथा अंतिम सत्र में अनिवार्य रूप से आयोजित करेंगे।
5. जिस माह पाँचवा शनिवार पड़े, उस स्थिति में बच्चों को स्वच्छता संबंधी विषयों के बारे में जानकारी दिया जाए एवं अभ्यास करायें।
6. जुलाई के प्रथम पखवारे (1–15 जुलाई) में विद्यालय सुरक्षा पखवारा तथा 4 जुलाई को विद्यालय सुरक्षा दिवस प्रत्येक विद्यालय में आयोजित होगा। विद्यालय सुरक्षा पखवारे में क्षेत्र विशेष को प्रभावित करने वाली सभी आपदाओं (सुखाड़ सहित) पर आधारित कार्यक्रम किये जायेंगे।
7. स्थानीय विशेष कारणों से सप्ताह में वर्णित गतिविधियों को आगे–पीछे किया जा सकता है।
8. विद्यालय में लंबी छुट्टी होने की स्थिति में बच्चों को गृहकार्य के रूप में विद्यालय सुरक्षा से संबंधित विषयों का अभ्यास एवं उसपर चर्चा करने संबंधी कार्य दिये जाएं।

unicef | for every child

बाल प्रेरकों हेतु संचार संप्रेषण सामग्रियाँ